

PFI पर बैन

प्रलिस के लयः

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडया, गैरकानूनी गतवधयः (रोकथाम) अधनयः

मेन्स के लयः

आंतरकः सुरकषा के प्रबंधन एवं आतंकवाद से नपःने में सरकारी हस्तकषेप

चरचा में क्यः?

भारत सरकार ने [गैरकानूनी गतवधयः \(रोकथाम\) अधनयः](#), 1967 के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडया और उससे जुड़े संगठनों पर आतंकी संबंध रखने की वजह से पाँच साल के लयः प्रतबंध लगा दया है ।

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडया:

- PFI का गठन वर्ष 2007 में दकषण भारत में तीन मुसलमः संगठनों के वलयः द्वारा कया गया था । ये संगठन केरल **नेशनल डेमोक्रेटकः फ्रंट**, **कर्नाटक फोरम फॉर डगःनःटी** और **तमलःनाडु में मनथः नीथी पासराय** हैं ।
- PFI के गठन की औपचारकः घोषणा 16 फरवरी, 2007 को “**एम्पावर इंडया कॉन्फ्रेंस**” के दौरान बंगलूरु में आयोजतः एक रैली में की गई थी ।

केंद्र ने PFI पर क्यः प्रतबंध लगाए हैं?

- वषयः
 - गृह मंत्रालय ने PFI और उसके सहयोगयः को “**गैरकानूनी संगठन**” घोषतः कया है जसःमें नःनःमलखःतः शःमलः हैं:
 - **रहःब इंडया फाउंडेशन (RIF)**, **कैपस फ्रंट ऑफ इंडया (CFI)**, **ऑल इंडया इमाम काउंसलः (AIIC)**, **नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ हयूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (NCHRO)**, **नेशनल वीमेंस फ्रंट**, **जूनयःर फ्रंट**, **एम्पावर इंडया फाउंडेशन** तथा **रहःब फाउंडेशन**, केरल ।
- प्रतबंध का कारण:
 - भारत सरकार के अनुसार, PFI के कुछ संस्थापक सदस्य **सूडैन्स इस्लामकः मूवमेंट ऑफ इंडया (SIMI)** के नेता हैं और **जमात-उल-मुजाहःदःन बांग्लादेश (JMB)** के साथ भी उनके संबंध हैं तथा ये दोनों ही प्रतबंधतः संगठन हैं ।
 - **इस्लामकः सटेट ऑफ इराक एंड सीरया (ISIS)** जैसे वैश्वकः आतंकवादी समूहों के साथ PFI के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के कई उदाहरण हमें देखने को मलःते हैं ।

गैरकानूनी गतवधयः रोकथाम अधनयः (Unlawful Activities Prevention Act-UAPA):

- परचयः
 - मूल रूप से UAPA को वर्ष 1967 में लागू कया गया था । इसे वर्ष 2004 और वर्ष 2008 में आतंकवाद वरःधी कानून के रूप में संशोधतः कया गया था ।
 - अगस्त 2019 में **संसद** ने कुछ आधारों पर **व्यक्तयः को आतंकवादी** के रूप में नामतः करने के लयः UAPA (संशोधन) बलः, 2019 को मंजूरी दी ।
 - आतंकवाद से संबंधतः अपराधों से नपःने के लयः यह सामान्य कानूनी प्रक्रयःओं से अलग है और इसके नयःम सामान्य अपराधों के नयःमों से अलग हैं । जहाँ अभयुक्तों के संवैधानकः सुरकषा उपायों को कम कर दया गया है ।

■ प्रावधान:

○ धारा 7:

- UAPA की धारा 7 सरकार को "गैरकानूनी संगठन" द्वारा "धन के उपयोग पर रोक लगाने" की शक्ति देती है।
- इसमें कहा गया है कि किसी संगठन के प्रतिबंधित होने के बाद यदि केंद्र सरकार जाँच के बाद संतुष्ट हो जाती है कि "ऐसे किसी भी व्यक्ति/संगठन के पास उपलब्ध धन, प्रतिभूतियों या क्रेडिट हैं जो गैरकानूनी संगठन के उद्देश्य के लिये उपयोग किये जा रहे हैं या उपयोग किये जाने की संभावना है तो केंद्र सरकार लिखित आदेश द्वारा उस व्यक्ति/संगठन को ऐसे धन, प्रतिभूतियों के भुगतान करने, वितरित करने, स्थानांतरित करने या अन्यथा किसी भी तरीके से व्यवहार करने से रोक सकती है।
- यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ऐसे संगठनों के परिसरों की तलाशी लेने और उनकी लेखा पुस्तकों की जाँच करने का अधिकार भी देती है।

○ धारा 8:

- UAPA की धारा 8 केंद्र सरकार को "किसी भी स्थान को अधिसूचित करने का अधिकार देती है, जो उसकी राय में इस तरह के गैरकानूनी संगठन के उद्देश्य के लिये उपयोग किया जाता है"।
- यहाँ "स्थान" में घर या इमारत, या इसका हिस्सा, या यहाँ तक कि एक तम्बू भी शामिल है।

○ धारा 10 :

- UAPA की धारा 10 प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता को अपराध बनाती है।
- इसमें कहा गया है कि प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होने पर दो साल की कैद की सज़ा हो सकती है और कुछ परिस्थितियों में इसे आजीवन कारावास तथा यहाँ तक कि मृत्युदंड तक बढ़ाया जा सकता है।
- यह प्रतिबंधित संगठन के उद्देश्यों की सहायता करने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है।

■ UAPA न्यायाधिकरण:

○ परिचय:

- UAPA, सरकार द्वारा गठित **उच्च न्यायालय** के न्यायाधीश के तहत **न्यायाधिकरण** का प्रावधान करता है, ताकि उसके प्रतिबंधित लंबे समय तक कानूनी रूप से सुरक्षित रहे।
- **UAPA की धारा 3** के तहत केंद्र द्वारा किसी संगठन को "गैरकानूनी" घोषित करने के आदेश जारी किये जाते हैं।
 - प्रावधान के अनुसार "इस तरह की कोई भी अधिसूचना तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि न्यायाधिकरण **धारा 4 के तहत किये गए आदेश द्वारा उसमें की गई घोषणा की पुष्टि नहीं कर दी हो** और आदेश आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं हो गया हो"।
- सरकारी आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक न्यायाधिकरण इसकी पुष्टि नहीं कर देता।
 - असाधारण परिस्थितियों में इसके कारणों को **लिखित रूप में दर्ज करने के बाद** अधिसूचना तुरंत प्रभाव में आ सकती है। **न्यायाधिकरण इसका समर्थन या अस्वीकार कर सकता है।**

○ शक्तियाँ:

- न्यायाधिकरण के पास अपनी स्वयं की प्रक्रिया को वनियमित करने की शक्ति है, जिसमें वह स्थान भी शामिल है जहाँ वह अपनी बैठकें आयोजित करता है। **इस प्रकार यह उन राज्यों से संबंधित आरोपों के लिये विभिन्न राज्यों में सुनवाई कर सकता है।**
- **पूछताछ करने के लिये न्यायाधिकरण के पास वही शक्तियाँ हैं जो सविलि प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सविलि कोर्ट में नहित हैं।**

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न: भारत सरकार ने हाल ही में गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, (UAPA), 1967 और NIA अधिनियम में संशोधन करके आतंकवाद वरीधी कानूनों को मज़बूत किया है। मानवाधिकार संगठनों द्वारा UAPA का वरीध करने की संभवना और कारणों पर चर्चा करते हुए प्रचलित सुरक्षा वातावरण के संदर्भ में परवर्तनों का विश्लेषण कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2019)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)